न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–19/2023 प्रार्थना पत्र — दर्ज तिथिः 04.09.2023
GCMS No. : 2023/38

1. श्रीमति गंगा बाई पुत्री मोहनलाल जी पत्नी मेघराज जी जाति गुर्जर आयु 58 वर्ष निवासी सरलाई हा०मु० सरोदा तह० जावद जिला नीमच म०प्र०

............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा राज०

............विपक्षी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री अनुराग ओझा
अप्रार्थीगण नं. 1 अधिवक्ता :–पैरोकार सरकार स्वयं

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथि : 04.09.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मौजा, ग्राम सरलाई तह० निम्बाहेडा में स्थित है जो खाता स० 84 की आ0न0 357 रकबा 0.0600 हेक्टयर, आपन0 698 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, आ0न0 699 रकबा 4.1400 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.2100 हेक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम सरलाई प०ह० कोटडी कला की खाता स० 85 की आवन0 697 रकबा 0.7800 हेक्टेयर लगानी 14.82 रूपये, कुल कुल रकबा 0.7800 हेक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम सरलाई प०० कोटडी कलां की खाता सव 209 की आ0न0 574 रकवा 0.8400 हेक्टेयर लगानी 15.96 रूपये, कुल किता कुल रकबा 0.8400 हेक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम सरलाई प०० कोटडी कलां की खाता स० 210 की आन0 46 रकवा 0.6500 हेक्टेयर लगानी 3.25 रूपये, आन0 489 रकबा0.8700 हेक्टेयर [illegible] कुल किता 2 कुल रकबा 1.5200 हेक्टेयर कुल लगानी 19.7800 रूपये स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजी में चारों [illegible] पुत्री [illegible] जी के रूप में दर्ज है। जब कि [illegible] गंगा बाई है प्रार्थिया [illegible] कार्ड, पहचान पत्र भी गंगा बाई के नाम से बने हुए है, प्रार्थिया का जो नाम [illegible] राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, वह प्रार्थिया का बचपन का नाम है, तथा प्रार्थिया के पिता के अत्याधीक दुबली पतली होने से स्नेहवश मडी बाई कह कर बुलाते थे परन्तु प्रार्थिया का आम बोल चाल की भाषा में नाम गंगा बाई है, प्रार्थिया को गंगा बाई के नाम से ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:16:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

जाना एवं पहचाना जाता है, परन्तु राजस्व कर्मीयों की त्रुटी से राजस्व रेकार्ड में प्रार्थिया का नाम गंगा बाई की जगह मडी बाई कर दिया जिससे प्रार्थिया को भारी परेशानी का सामना उठाना पड रहा है, एवं राजस्व सरकार द्वारा जो सहायता राशि, फसलों का बीमा आदि सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है, जिस कारण प्रार्थिया इस आवेदन पत्र के माध्यम से अपना नाम मडी बाई की जगह गंगा बाई दुरूस्त कराना चाहती है।

3. प्रार्थिया ने अपना नाम दुरुस्त कराने हेतु विपक्षी अधिनस्थ कर्मीक पटवार हल्का कोटडी कला को कई मर्तबा निवेदन किया एवं विपक्षी के यहां मौखिक रूप से उपस्थित होकर अपना नाम मंडी बाई से गंगा बाई करने हेतु निवेदन किया, परन्तु विपक्षी ने शिघ्र ही दुरूस्त करने का आश्वासन दिया परन्तु आज दिन तक काई कार्यवाही नही की जिस कारण मजबूर होकर प्रार्थिया को यह आवेदन पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, निम्बाहेडा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम सरलाई की खाता संख्या 84,85,209,210 में मडी बाई की जगह गंगा बाई अंकित करने का नाम रिकार्ड अनुसार दुरूस्त करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेडा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि प्रार्थिया की खातेदारी आराजी नं. 697, 698, 699, 357, 46 व 489 कुल किता 6 ग्राम सरलाई पटवार हल्का कोटडी कलां में स्थित है, जिसमें प्रार्थिया का नाम मडीबाई पुत्री मोहनलाल गुर्जर दर्ज है। आराजी नं. 574 में वादिया का नाम वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज नही है। मौतबिरान अनुसार प्रार्थिया का बचपन का नाम शारीरिक कमजोरी के कारण मडी–मडी पुकारा जाता था, जिससे पिता की मृत्यु के बाद विरासत से दर्ज नामान्तरकरण में नाम मडी दर्ज हो गया था। वादीया का ससुराल ग्राम सरोदा तहसील जावद, मध्यप्रदेश में एवं पीहर ग्राम सरलाई में होने से पिता की खातेदारी भूमि विरासत से नाम मडीबाई पिता मोहनलाल दर्ज हो गया, जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड, राशनकार्ड एवं ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का बांगेडाघाटा की खाता संख्या 86 में गंगाबाई पत्नि मेघराज गुर्जर दर्ज है, प्रतिलिपि संलग्न है। वादीया की शामलाती कृषि भूमि पर एक ही बहन ने कब्जा कर रखा है। कब्जा सम्बन्धी विवाद होने से अन्य बहनों का पार्वतीबाई से मनमुटाव से मडी व गंगाबाई नाम में से मडी नाम ही बताया गया । अन्य ग्राम वासियों ने मडी उर्फ गंगाबाई नाम होना जाहिर किया है।

5. मैंने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस मे मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थिया की खातेदारी आराजी नं. 697, 698, 699, 357, 46 व 489 कुल किता 6 ग्राम सरलाई पटवार हल्का कोटडी [illegible] प्रार्थिया का नाम मडीबाई पुत्री मोहनलाल गुर्जर दर्ज है। मौतबिरान [illegible] प्रार्थिया का बचपन का नाम शारीरिक कमजोरी के कारण मडी [illegible] की मृत्यु के बाद विरासत से दर्ज नामान्तरकरण में नाम मडी दर्ज हो [illegible] था। वादीया का ससुराल ग्राम सरोदा तहसील जावद, मध्यप्रदेश [illegible] में होने से पिता की खातेदारी भूमि विरासत से नाम मडीबाई पिता मोहनलाल [illegible] हो गया, जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड, राशनकार्ड एवं ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का बांगेडाघाटा की खाता संख्या 86 में गंगाबाई पत्नि मेघराज गुर्जर दर्ज है, इसलिए प्रार्थिया का सही नाम गंगाबाई पत्नि मेघराज गुर्जर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर तरमीम कर पुन: शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:16:25 IST
Reason: SelfAttested

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.***

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

8. अतः तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा ग्राम सरलाई पटवार हल्का कोटडी कलां में स्थित प्रार्थिया की खातेदारी आराजी नं. 697, 698, 699, 357, 46 व 489 कुल किता में लेखनीय भूल से प्रार्थिया का नाम मडीबाई पुत्री मोहनलाल गुर्जर दर्ज हो गया ,जबकि प्रार्थिया का नाम गंगाबाई पत्नि मेघराज गुर्जर दर्ज है जो वर्तमान तक चला आ रहा है जो प्रार्थिया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ में अन्य दस्तावेज, शपथ पत्र,आधार कार्ड,राशन कार्ड मध्यप्रदेश की प्रति एवं ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का बांगेडाघाटा की खाता संख्या 86 ,ग्राम पंचायत सरोदा का शपथ पत्र, पेश किया जिसमे प्रार्थीया का नाम मडीबाई पुत्री मोहनलाल के बजाय गंगाबाई पत्नि मेघराज गुर्जर होना प्रमाणित होता है।

आदेश

9. **प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि संवत् 2077–80 मौजा सरलाई पटवार हल्का कोटडीकला तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नम्बर 697, 698, 699, 357, 46 व 489 में खातेदार मडीबाई पुत्री मोहनलाल के बजाय गंगाबाई उर्फ मडी बाई पत्नि मेघराज गुर्जर के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।**

10. निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो [illegible] दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:16:25 IST
Reason: SelfAttested

4/9/23

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा